



2026:AHC:36395

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 6478/2026

नीरज उपाध्याय

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 60 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुशीला पाण्डेय, विकास कुमार उपाध्याय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विधिक सलाहकार द्वारा यह तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता अर्थात् स्वर्गीय दया शंकर @ दया राम ने पूर्व में इस न्यायालय के समक्ष रिट सी नंबर 21183 /2022 (दया शंकर @ दया राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) दायर करके न्यायालयका रुख किया था, जिसका इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.11.2023 के माध्यम से निपटारा कर दिया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गया था। उपरोक्त कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और अब याचिकाकर्ता इसी प्रार्थना के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आया है।

2. शासकीय अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि चूंकि यह समान कारण के लिए दूसरी याचिका है, इसलिए, वर्तमान याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है।

3. पक्षों के विधिक सलाहकार को सुना गया।

4. अभिलेख के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिका उसी प्रार्थना के साथ दायर की गई है जिसका आदेश दिनांक 09.11.2023 के माध्यम से भी निपटारा किया गया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3/उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील मेजा, प्रयागराज को मामले का शीघ्रतापूर्वक और यथासंभव नौ माह के भीतर निर्णय करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिया गया था, लेकिन अब दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, इसके बावजूद आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. इस मामले के परिप्रेक्ष्य में, प्रतिवादी संख्या 2/उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील मेजा, प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2023 के अनुपालन न करने के कारण की व्याख्या करते हुए अपना वैयक्तिक शपथ-पत्र दाखिल करे। यदि मामले में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, तो प्रतिवादी संख्या 2/उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील मेजा, प्रयागराज, उपरोक्त आदेश की एक प्रति केवल शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

6. दिनांक 16.03.2026 को ताजा के रूप में सूचीबद्ध करें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18 फरवरी , 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”